प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, कोटा देहात थाना :– प्र.आ.केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2022 प्र0सू0रि0 सं0 410/2022 दिनांक 15/10/22

2. (1) अधिनियम– पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018 धाराऐं–7 पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018

(2) अधिनियम– धाराऐं –

(3) अधिनियम.....धाराऐं.....

(4) अन्य अधिनियम एवं ..... धाराऐं .....

3. (क) घटना का दिन व दिनांक :–शुक्रवार दिनांक– 14.10.2022

(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 13.10.2022 समय :– 11:50 ए.एम.

(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या 259 समय 7:00 pm

4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित

5. घटनास्थल का ब्यौरा :–

(क) थाने से दिशा एवं दूरी–ए.सी.बी. कोटा देहात से करीब 25 कि.मी. बजानिब उत्तर–पश्चिम

बीट संख्या.....जुरामदेही सं.....

(ख) पता:– पुलिस थाना तालेडा, जिला बूंदी

(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम.....

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–

(क) नाम :– श्री अशोक कुमार मीणा

(ख) पिता का नाम :– श्री किशनलाल

(ग) जन्म तिथि/उम्र :– 43 साल

(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय

(ड़) पासपोर्ट संख्या.....जारी करने की तिथि.....जारी करने का स्थान

(च) व्यवसाय –

(छ) पता :– ग्राम बल्लोप, थाना तालेडा, जिला बूंदी

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

(1) श्री देवेन्द्र किशोर दीक्षित पुत्र रूपनारायण जाति ब्राहम्ण उम्र 43 साल निवासी मकान नं. 21, भारत नगर, बूंदी हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, थाना तालेडा जिला बूंदी।

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं

9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्य: –20000 रूपये

11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो).....

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

वाक्यात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 13.10.2022 को परिवादी अशोक कुमार मीणा पुत्र श्री किशनलाल मीणा उम्र 43 साल जाति मीणा निवासी बल्लोप थाना तालेडा जिला बूंदी ने उपस्थित कार्यालय होकर एक स्वयं द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष इस आशय का पेश किया कि मैं अशोक कुमार मीणा पुत्र श्री किशनलाल मीणा

निवासी ग्राम बल्लोप थाना तालेडा जिला बूंदी का निवासी हूं। मैं प्रोपर्टी का कमीशन का काम करता हूं। जिसमें मेरा व धनराज मीणा से बल्लोप में 01 प्लोट 52 गुणा 95 का लेनदेन का मामला था लगभग 6 माह पहले धनराज मीणा ने पुलिस थाना तालेडा में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिस पर मेरे व धनराज मीणा के बीच आपसी समझौता कर के 100रूपये के स्टाम्प पर समझौता कर के हम दोनों पुलिस थाने में जॉच अधिकारी देवेन्द्र जी ए.एस.आई को देकर आये थे। इसके बावजूद पिछले 15 से 20 दिन से देवेन्द्र जी मुझसे 50,000रू पचास हजार की मांग कर रहे है। मेरा धनराज मीणा से आपसी समझौता हो गया है व अब उससे कोई विवाद नहीं है फिर भी ए.एस.आई मुझे झुठे चालान करने का डर दिखाकर पैसे ऐंठना चाहते है। मै अपने जायज काम के बदले रिश्वत नहीं देना चाहता बल्की रिश्वत लेते हुये भ्रष्ट ए.एस.आई को पकडवाना चाहता हुॅ मेरा ए.एस.आई साहब से पुराना लेन देन बाकी नहीं है। अतः मान्यवर से उचित कार्यवाही करने की कृपा करे। श्रीमान द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। मजीद दरयाफ्त पर प्रार्थना पत्र स्वंय का हस्तलिखित होना बताते हुऐ प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य ही दोहराये व बताया कि ए.एस.आई मुझसे थाने में ही बात करते है। वह मुझे थाने पर ही मिलेगें। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं मजीद दरयाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। समय 12:30 पी.एम. पर श्री नरेश यादव कानि. को तलब कर परिवादी का परिचय करवाया गया। मालखाने से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर परिवादी को चलाने व बंद करने की समझाईश कर सुपुर्द किया गया। परिवादी को हिदायत दी गई की रिश्वत मांग वार्ता के दौरान होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करे। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की गई। परिवादी श्री अशोक मीणा को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतू थाना तालेडा जिला बूंदी रवाना किया। श्री नरेश यादव कानि. 144 को वार्ता की निगरानी हेतू परिवादी के साथ आवश्यक हिदायत कर रवाना किया। समय 02:45 पी.एम. पर परिवादी श्री अशोक कुमार एवं श्री नरेश यादव कानि.144 कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी अशोक कुमार ने अपने पास से पूर्व में सुपुर्दशुदा डिजिटल वाईस रिकोर्डर को अपनी जेब से निकालकर श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर मौखिक बताया कि मैं यहॉ से रवाना होकर थाना तालेडा पहुॅचा। मैने थाने के बाहर से ए.एस.आई. श्री देवेन्द्र दीक्षित को मेरे मोबाईल फोन से कॉल किया तो उसने मुझे थाने के अंदर अपने कमरे में बुलाया। मैं कमरे के अंदर चला गया। जहॉ ए.एस.आई ने मुझसे मेरे मुकदमें में चालान पेश नहीं करने की एवज में 50,000रूपये रिश्वत राशि की मांग की, मेरे निवेदन करने पर वह 40,000रूपये लेने पर राजी हो गया। ए.एस.आई. साहब 20,000रूपये कल लेने व 20,000रू दिवाली के बाद लेने के लिए सहमत हुये है। उन्होने मुझे कल 20,000रूपये रिश्वत राशि लेकर बुलाया है। नरेन्द्र यादव कानि. 144 ने भी परिवादी के कथनों की ताईद की। फर्द प्राप्ति डिजिटल वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की गई। ट्रेप कार्यवाही हेतु दो सरकारी कर्मचारी बतौर स्वतन्त्र गवाह की आवश्यकता होने से कार्यालय के श्री पवन कुमार कानि. 272 को एक तहरीर कार्यालय अति. निदेशक पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग कोटा के नाम जारी कर अपने साथ दो सरकारी कर्मचारी लेकर आने हेतु रवाना किया। थोडी देर बाद ही श्री पवन कुमार कानि. कार्यालय अति. निदेशक पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग से अपने साथ दो सरकारी कर्मचारी श्री राजाराम मीणा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व श्री बृजेश शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को साथ लेकर आया। उक्त दोंनो गवाहान से गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह बनने की सहमति प्राप्त की गई तो दोनों ने गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह बनने की मौखिक सहमति प्रदान की। तत्पश्चात परिवादी व दोनों गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढकर सुनाया गया जिस पर दोनों गवाहान ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को समझकर अपने –अपने हस्ताक्षर किये। समय 03:10 पी.एम. पर परिवादी श्री अशोक कुमार एंव आरोपी श्री देवेन्द्र दीक्षित, ए.एस.आई के मध्य थाना तालेडा पर उसके कमरे में हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड की थी, को श्री पवन कुमार कानि. 272 द्वारा लेपटोप में लिवाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। गवाहान व परिवादी के समक्ष वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पवन कुमार कानि. 272 से

तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। डिजिटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। समय 05:20 पी.एम. पर परिवादी श्री अशोक मीणा को रिश्वत राशि लेकर आने तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को कल सुबह समय 09.00ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने व गोपनीयता की हिदायत कर कार्यालय से रूखसत किया गया। समय 05:30 पी.एम. पर श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय में कमी जाब्ता होने से अति. पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो एसयू कोटा को जाब्ता उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया। दिनांक 14.10.2022 समय 9:00 ए.एम. पर पूर्व का पाबंदशुदा परिवादी श्री अशोक कुमार मीणा व दोनों स्वतंत्र गवाहान उपस्थित कार्यालय आये। श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक ने मन पुलिस निरीक्षक पृथ्वीराज मीणा को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री अशोक कुमार मीणा का परिचय करवाया। श्रीमान अति.पुलिस अधीक्षक को श्रीमान महानिदेशक, भ्र.नि.ब्यूरो द्वारा आयोजित विडियो कान्फ्रेस में उपस्थित होने से ट्रेप कार्यवाही की पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द की गई। इस पर मन पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री अशोक कुमार मीणा, मय ट्रेप पत्रावली लेकर अपने कक्ष में आया। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर परिवादी से आवश्यक पूछताछ की गई। मालखाने में रखवाये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को बाहर निकलवाया गया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सरकारी लैपटॉप पर चलाकर सुना गया तो परिवादी के कथनों की पुष्टि हुई। श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक, द्वारा मुर्तिब फर्द ट्रांसक्रिप्ट का अवलोकन किया गया। मन पुलिस निरीक्षक ने दोनों स्वतंत्र गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति प्राप्त की गई तो दोनों ने गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह बनने की मौखिक सहमति प्रदान की। मन पुलिस निरीक्षक अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में व्यस्त हुआ। समय 10:20 ए.एम.पर पूर्व का तलबशुदा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट कोटा से श्री रामगोपाल हैड कानि. 108 उपस्थित कार्यालय आया। जिसका परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान से परिचय करवाया गया। समय 10:40 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से रिश्वत में दी जाने वाली राशि के पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री अशोक कुमार मीणा ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अपने पास से भारतीय मुद्रा के 2000–2000 रूपये के 10 नोट कुल 20,000रूपये निकालकर पेश किये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है–

1	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3KA 903530
2	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7ER 640555
3	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	1AL 553335
4	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	1HH 163580
5	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4AK 477622
6	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0KF 304644
7	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	9AQ 234648
8	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7FP 046304
9	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6AA 855188
10	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	8FW 366284

श्री रामगोपाल हैड कानि. 108 एसीबी एस.यू. कोटा के द्वारा कार्यालय के मालखाने से फिनोप्थिलीन पाउडर की शीशी निकलवाई गई एवं एक अखबार के ऊपर थोड़ा सा फिनोप्थिलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्त सभी नोटों पर फिनोप्थिलीन पाउडर भलीभांति लगवाया गया। गवाह श्री राजाराम मीणा से परिवादी श्री अशोक मीणा की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुए कपड़ों में मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोप्थिलीन पाउडर लगे नोटों को श्री रामगोपाल हैड कानि. 108 से सीधे ही परिवादी की पहनी हुई शर्ट की आगे की बांयी जेब में रखवाये गये। ट्रेप बॉक्स में रखें कांच के एक गिलास में साफ पानी लेकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्री रामगोपाल हैड कानि.108 के फिनोप्थिलीन पावडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोप्थिलीन व सोडियम कार्बोनेट पावडर के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को दृष्टान्त देकर सम्बधितों को समझाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलावे और ना ही पावडर लगे नोटों को रास्ते में अनावश्यक रूप से

हाथ लगावे। आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पावडर लगे नोटो को अपनी शर्ट की जेब से निकाल कर उसे देवे तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप पार्टी के सदस्यों की ओर अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर या अपनी कार का इंडिकेटर चालू कर इशारा करे। इसके बाद गिलास के गुलाबी घोल को फिंकवाया गया। नोटों पर पावडर लगाने मे प्रयुक्त अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। श्री रामगोपाल हैड कानि. 108 के दोनों हाथों को अच्छी तरह धुलवाया गया एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री रामगोपाल हैड कानि. 108 से वापस मालखाने मे रखवाया गया। ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साफ पानी से धुलवाये गये। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि परिवादी के आसपास नजदीक रहकर परिवादी एवं आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने एवं वार्ता को सुनने का प्रयास करे। इसके पश्चात सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी को देकर उसे चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाई गई तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी की जिंस की पेंट की आगे की दाहिनी जेब में रखवाया गया तथा हिदायत दी गई कि आरोपी से होने वाली बातचीत को डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे रिकॉर्ड करे। फर्द पेशकशी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थ्लीन पाउडर से मूर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। श्री रामगोपाल हैड कानि. 108 को गोपनीयता की हिदायत कर वापस ए.सी.बी स्पेशल यूनिट, कोटा रवाना किया गया। समय 11:20 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री अशोक मीणा व श्री नरेश यादव कानि. परिवादी की कार से तथा श्री असलम खान हैड कानि.,श्री पवन कुमार कानि., व श्रीमती कीर्ति महिला कानि. सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक विशेष कुमार, लेपटोप प्रिन्टर एंव ट्रेप कार्यवाही सामग्री के कार्यवाही हेतु थाना तालेडा रवाना हुआ। समय 12:09 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक, मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान मय जाब्ता, मय सरकारी वाहन कोटा जयपुर हाईवे, तालेडा बाईपास से पंचायत समिति तालेडा के सामने कस्बा तालेडा पहुँचा। जहॉ आरोपी की लोकेशन जानने हेतु परिवादी के मोबाईल 9782820819 से आरोपी देवेन्द्र दीक्षित के मोबाईल नं. 9252833404 पर वार्ता करवाई तो आरोपी ने परिवादी को थाने के अंदर ही बुलाया। उक्त मोबाईल वार्ता को कार्यालय के सरकारी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। चूंकि आरोपी परिवादी को रिश्वत राशि लेकर थाने के अंदर ही बुला रहा है। अतः मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को स्वयं की कार से रवाना किया मन पुलिस निरीक्षक व दोनों स्वतंत्र गवाहान परिवादी के पीछे पैदल पैदल थाना तालेडा के सामने जूते चप्पल की दुकान पर मुकीम हुआ तथा अन्य एसीबी जाब्ता को थाना तालेडा के सामने उपस्थिति छुपाते हुये खडा किया। मन पुलिस निरीक्षक ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी के इशारे का इंतजार करने लगा। समय 12:47 पी.एम. पर इस समय परिवादी श्री अशोक कुमार मीणा पुत्र श्री किशनलाल मीणा, उम्र 43 साल निवासी ग्राम बल्लोप, थाना तालेडा जिला बूंदी ने पुलिस थाना तालेडा जिला बूंदी के मेन गेट से बाहर आकर बाहर खडी अपनी गाडी में बैठकर गाडी के इंडीकेटर चालू कर रिश्वत राशि प्राप्त करने का पूर्व निर्धारित इशारा मन पुलिस निरीक्षक को किया। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप टीम के सदस्यों के परिवादी श्री अशोक कुमार के पास पहुंचा तथा परिवादी से डिजीटल वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द किया गया। मन पुलिस निरीक्षक परिवादी के पीछे पीछे मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाब्ता के आरोपी देवेन्द्र दीक्षित, सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना तालेडा के थाना परिसर स्थित मैस के पास बने ए.एस. आई बैरिक में पहुँचा। जहॉ टेबल पर एक व्यक्ति लैपटॉप पर काम करता हुआ मिला। परिवादी ने बताया कि यही ए.एस.आई श्री देवेन्द्र दीक्षित है, जिन्होनें मुझसे अभी अभी मेरे खिलाफ दर्ज मुकद्मे में चालान नहीं करने की एवज में कल हुई वार्तानुसार 20,000रूपये अपने हाथ में लेकर अपनी टेबल की बीच वाली दराज में रख लिये है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा देवेन्द्र दीक्षित, स.उ.नि. को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर आने के उद्देश्य से अवगत कराया तो वह अत्यंत घबराने लगा। मन पुलिस निरीक्षक ने देवेन्द्र दीक्षित को तसल्ली देकर नाम पते पूछे तो उसने अपना नाम देवेन्द्र दीक्षित पुत्र श्री रूपनारायण जाति ब्राहम्ण उम्र 43 साल निवासी मकान नं. 21, भारत नगर, जिला बूंदी होना बताया। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री देवेन्द्र दीक्षित से पूछा कि आपने अभी अभी परिवादी श्री अशोक कुमार से 20,000रू किस काम की एवज में लिये है, तो आरोपी ने बताया कि मैने अशोक कुमार मीणा व उसके पार्टनरों के विवाद होने पर दर्ज प्रकरण में अशोक कुमार मीणा के कहने पर राजीनामा करवाया था। मैने इससे कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की। यह कल भी मेरे पास आया था। यह मेरे को कल भी पैसे देने की बात कर रहा था। मैने इसे मना कर दिया था। इसने अभी अभी मेरे पास बेठकर मेरी टेबल की दराज में पैसे रख दिये मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। मेरे पास इसके खिलाफ दर्ज कोई भी प्रकरण नहीं है। इसके विरूद्व दर्ज मुकदमें में पिछले महिने ही एफ.आर. लगा दी है। इस पर परिवादी ने आरोपी देवेन्द्र दीक्षित, सहायक उप निरीक्षक पुलिस की बात का खण्डन करते हुये बताया कि मेरे

खिलाफ थाना तालेडा पर दर्ज प्रकरण में मेरे व धनराज मीणा के बीच आपसी समझौता हो गया था। हमने 100 रू के स्टाम्प पर समझौता लिखकर 15–20 दिन पहले देवेन्द्र जी को दे दिया था। हमारे आपसी समझौता होने के बाद भी देवेन्द्र जी मुझसे 50,000रू रिश्वत की मांग कर रहे है औरे मेरे खिलाफ चालान करने की धमकी दे रहे है। मैं कल इनके पास आया था इन्होने मुझसे 40,000रूपये रिश्वत लेना तय किया था। मेरे निवेदन करने पर आज 20,000रूपये व 20,000रूपये दिवाली के बाद लेना तय किया था। हमारे कल हुई वार्तानुसार इन्होनें मुझसे 20,000रूपये अपने हाथ में लेकर अपनी टेबल की दराज में रख लिये है। उसके बाद मैने बाहर आकर आपको ईशारा कर दिया था। इस पर आरोपी श्री देवेन्द्र किशोर दीक्षित, सहायक उप निरीक्षक पुलिस का दाहिना हाथ श्री नरेश यादव कानि.144 से व बायां हाथ श्री असलम हैड कानि. 124 से कलाई के ऊपर से पकडवाया गया तथा आरोपी देवेन्द्र दीक्षित से रिश्वत राशि के बारे में पुनः पूछा तो आरोपी ने रिश्वत राशि प्राप्त करना स्वीकार कर रिश्वत राशि टेबल की दूसरी दराज में होना बताया। इस पर थाना परिसर में ट्रेप कार्यवाही करने संबंधी रपट पुलिस थाना तालेडा के रोजनामचा आम पर दर्ज करवाकर ट्रेप कार्यवाही करने हेतु मौखिक स्वीकृति थानाधिकारी से प्राप्त कर ए.एस.आई बैरिक में ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इस पर ए.एस.आई बैरिक में रखे पानी के कैंपर से एक बोतल में साफ पानी लिया जाकर दो अलग अलग कांच के गिलासों में साफ पानी भरवाया गया। कांच के दोनों गिलासों में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, उक्त में से एक कांच के गिलास के घोल में आरोपी श्री देवेन्द्र दीक्षित, स.उ.नि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो गिलास के घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सील चिट मोहर कर मार्क RH–1, RH–2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे कांच के गिलास के घोल में आरोपी के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो गिलास के घोल का रंग हल्का गुलाबी/मटमैला हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सील चिट मोहर कर मार्क LH–1, LH–2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी देवेन्द्र दीक्षित द्वारा परिवादी से पैसे लेकर अपनी टेबल की दराज में रखना बताने पर टेबल की तीनों दराजों की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री बृजेश कुमार से लिवाई तो आरोपी के टेबल की बीच वाली दराज में 2000–2000रू के नोटों की गड्डी मिली। जिन्हें स्वतंत्र गवाह श्री बृजेश कुमार से गिनवाया तो स्वतंत्र गवाह ने नोटों को गिनकर 10 नोट कुल 20,000 रूपये होना बताया। इस पर नोटों के नम्बरों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान को फर्द पेशकशी नोट देकर करवाया गया तो हुबहू वहीं नोट होना पाया जाने पर रिश्वत राशि के नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किये गये। बरामद रिश्वत राशि के नोटों के नम्बरों का विवरण निम्नानुसार हैः–

1	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3KA 903530
2	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7ER 640555
3	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	1AL 553335
4	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	1HH 163580
5	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4AK 477622
6	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0KF 304644
7	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	9AQ 234648
8	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7FP 046304
9	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6AA 855188
10	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	8FW 366284

उक्त रिश्वत राशि के नोटों को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे में रखवाकर लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। चूंकि रिश्वत राशि आरोपी की टेबल की बीच वाली दराज में से बरामद हुई है अतः दराज (रैक) का धोवन लिया जाना आवश्यक है। इस पर एक गिलास में साफ पानी लेकर कांच के गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल बनाया फिर एक रूई के गीले फोए से उक्त दराज के अंदर से रगडकर स्वाब लिया गया। रूई के फोए को उक्त गिलास के घोल में डूबोकर धुलवाया तो गिलास के घोल का रंग गुलाबी हो गया, रूई के फोए के गुलाबी घोल को दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सील चिट मोहर कर मार्क C–1, C–2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त रूई के फोए को सुखाकर एक पॉलीथीन में रखकर पॉलीथीन को सफेद कपडे की थैली में रखकर सीलकर शील्ड मोहर कर चिट माल

चस्पा कर मार्क "C" दिया गया। आरोपी श्री देवेन्द्र दीक्षित द्वारा उपयोग में लिये जा रहे मोबाईल फोन पर परिवादी श्री अशोक मीणा की वार्ता हुई थी, आरोपी से मोबाईल फोन के बारे में पूछा गया तो आरोपी ने एक एण्डराईड मोबाईल फोन वीवो कम्पनी का जिसके आईएमईआई नं. 866191045067113 व 866191045067105 है,जिसमें दो सिम नम्बर 9252833404 एयरटेल कंपनी व 7014815305 जीओ कंपनी की लगी हुई को पेश किया जिसे स्विच ऑफ कर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी से परिवादी के विरूद्व दर्ज मुकद्मे की पत्रावली के सम्बन्ध में पूछा तो आरोपी देवेन्द्र दीक्षित ने बताया की मैने प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण कर प्रकरण में एफ.आर. कता कर न्यायालय मे पेश करने हेतु थानाधिकारी को लौटा दी है। अब पत्रावली मेरे पास नहीं है। इस पर प्रकरण की पत्रावली की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने हेतु थानाधिकारी थाना तालेडा को पत्र क्रमांक एसपीएल–1 जारी किया गया। रिश्वत मांग सत्यापन एवं वक्त लेनदेन रिश्वत वार्ता दोनों ही परिवादी को दिये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है जिसको परिवादी व रूबरू गवाहान, आरोपी के सामने डीवीआर चालू कर सुना गया तो उक्त रिश्वत मांग सत्यापन एवं वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता में परिवादी के कथनों की ताईद होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्री देवेन्द्र किशोर दीक्षित, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, थाना तालेडा जिला बूंदी ने परिवादी श्री अशोक कुमार मीणा के विरूद्व दर्ज प्रकरण में एफ.आर. लगाने के बावजूद परिवादी को चालान पेश करने का डर बताकर 50,000रूपये रिश्वत राशि की मांग करना, रिश्वत मांग सत्यापन वार्तानुसार 40,000रूपये तय कर 20,000रूपये प्राप्त करना, रिश्वत राशि आरोपी के टेबल की बीच वाली दराज से बरामद होना, आरोपी के हाथों व दराज के स्वाब के फोए का धोवन गुलाबी प्राप्त होने से आरोपी का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। फर्द बरामदगी मुर्तिब कर संबंधितों हस्ताक्षर करवाये गये। समय 04:30 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में परिवादी श्री अशोक मीणा की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका मुर्तिब किया गया। समय 05:00 पी.एम. पर परिवादी श्री अशोक कुमार व आरोपी श्री देवेन्द्र किशोर दीक्षित, सहायक उप निरीक्षक पुलिस के मध्य हुई रिश्वत लेनदेन वार्ता को डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से सरकारी लेपटोप में लिवाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान व आरोपी को सुनाया गया। परिवादी ,गवाहान, आरोपी की उपस्थिति मेरे निर्देशन में वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पवन कुमार कानि. 272 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 07:00 पी.एम. पर आरोपी श्री देवेन्द्र किशोर दीक्षित, स.उ.नि. थाना तालेडा को अपनी आवाज का नमूना देने बाबत् नोटिस दिया गया। जिस पर आरोपी ने एक प्रति पर लिखित में अपनी आवाज का नमूना स्वेच्छा से नही देने बाबत् जवाब पेश किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। समय 07.20 पी.एम. पर आरोपी श्री देवेन्द्र किशोर दीक्षित को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 07:30 पी.एम. पर परिवादी श्री अशोक कुमार व आरोपी श्री देवेन्द्र किशोर दीक्षित के मध्य हुई मोबाईल वार्ता को डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से सरकारी लेपटोप में लिवाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान व आरोपी को सुनाया गया। परिवादी ,गवाहान, आरोपी की उपस्थिति मेरे निर्देशन में वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पवन कुमार कानि. 272 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 07.40 पी.एम. पर दिनांक 13.10.2022 को परिवादी श्री अशोक कुमार व आरोपी देवेन्द्र दीक्षित, स.उ.नि. के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 14.10.2022 को परिवादी श्री अशोक कुमार व आरोपी देवेन्द्र दीक्षित के मध्य हुई मोबाईल वार्ता व रिश्वत लेनदेन वार्ता जिसे डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था, की कार्यालय के लेपटोप से चार सी.डी. तैयार करवाई गई। उक्त सीडियों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक सी.डी. वजह सबूत न्यायालय के लिए, एक सी.डी. आरोपी के लिए एंव एक सीडी एफएसएल से नमूना आवाज मिलान के लिए अलग–अलग कपड़े की थैली में रखी जाकर सील मोहर की गई एवं कपडे की थेली पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। एक सी.डी. अनुसंधान अधिकारी के लिए अनसील्ड ही रखी गई। शील्डशुदा सीडीयों को कब्जे एसीबी लिया गया। श्री रमेशचंद मेरोठा उपनिरीक्षक पुलिस, थाना तालेडा जिला बूंदी ने प्रकरण संख्या 101/2022 धारा 420,406 भा.द.स. थाना तालेडा की प्रमाणित छायाप्रति पेश की जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया। समय 08:30 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक, मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, आरोपी श्री देवेन्द्र दीक्षित, स.उ.नि.,जब्तशुदा आर्टीकल्स मय ट्रेप पार्टी थाना तालेडा जिला बूंदी से रवाना हुआ। इस आशय की रपट थाना तालेडा जिला बूंदी के रोजनामचा आम में दर्ज करवाई गई। परिवादी को बाद ट्रेप कार्यवाही सकुशल रूखसत किया गया। समय

09:40 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान, आरोपी देवेन्द्र दीक्षित व ट्रेप पार्टी के सदस्य जप्तशुदा आर्टिकल्स के थाना दादाबाडी पहुॅचा। जहॉ गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री देवेन्द्र किशोर दीक्षित को सुरक्षा की दृष्टि से थाना दादाबाडी की हवालात मे दाखिल करवाया। समय 10:00 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाह, ट्रेप पार्टी के सदस्यों, मय जप्तशुदा आर्टिकल्स के जरिये सरकारी वाहन उपस्थित कार्यालय आया। जप्तशुदा रिश्वत राशि 20,000 रू का लिफाफा, धोवन की शीशियां मार्क आर.एच.–1, आर.एच.–2, एल.एच.–1, एल.एच.–2, सी.–1, सी.–2 व पैकिट मार्क ''सी'' व जप्तशुदा मोबाईल व शील्डशुदा सीडियां–03 को कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता को कार्यवाही पूर्ण होने से रूकसत किया गया। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री देवेन्द्र किशोर दीक्षित पुत्र श्री रूपनारायण जाति ब्रहाम्ण उम्र 43 साल निवासी मकान नं. 21, भारत नगर, जिला बूंदी हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना तालेडा जिला बूंदी द्वारा परिवादी श्री अशोक कुमार मीणा से उसके विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 101/2022 थाना तालेडा में एफ.आर. लगाने के बावजूद परिवादी को चालान पेश करने का डर बताकर 50,000रूपये रिश्वत राशि की मांग करना, रिश्वत मांग सत्यापन वार्तानुसार 40,000रूपये तय कर 20,000रूपये प्राप्त करना, रिश्वत राशि आरोपी के टेबल की बीच वाली दराज से बरामद होना, आरोपी के हाथों व दराज के स्वाब के फोए का धोवन गुलाबी प्राप्त होने से आरोपी के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। इत्यादि सम्पूर्ण तथ्यों से आरोपी श्री देवेन्द्र किशोर दीक्षित सहायक उप निरीक्षक पुलिस, थाना तालेडा जिला बूंदी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।

(पृथ्वीराज मीणा)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
कोटा देहात

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पृथ्वीराज मीणा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री देवेन्द्र किशोर दीक्षित पुत्र श्री रूपनाराण, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना तालेड़ा जिला बून्दी के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 410/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

15.10.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक:-3562-66 दिनांक 15.10.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला बून्दी।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात, कोटा।

15.10.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।